

सम्पदा प्रबन्धक
वृत्त—
राजस्थान आवासन मण्डल,
.....

(16)

विषय :- आवंटन से पूर्व भुगतान पद्धति में परिवर्तन।

नाम	श्री.....
पिता का नाम	श्री.....
पता
दूरभाष / मोबाइन नॉ
योजना का नाम
आय वर्ग
वरीयता क्रमांक

भवदीय,

()

नोट :- आवेदक की किराया क्रय पद्धति से नगद भुगतान पद्धति में परिवर्तन की स्वीकृति ही प्रदान की जा सकेगी। नगद भुगतान से किराया क्रय पद्धति में परिवर्तन के लिये प्रस्तुत आवेदन कर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट :-

1. आवेदक को वर्तमान आयवर्ग से दो आयवर्ग ऊपर अथवा दो आयवर्ग नीचे में परिवर्तन की ही अनुमति प्रदान की जावेगी।
2. आवेदक को आयवर्ग परिवर्तन की केवल एक बार ही अनुमति प्रदान की जावेगी।

जो बिन्दु लागू ना हो उस पर क्रोस का निशान अंकित करें।